उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 12/2013

राज्य बनाम् अज्ञात

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21-02-2018	**–:: आदेश ::–** अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रांक 147/आ0 दिनांक 12.04.2013 से प्राप्त प्रस्ताव में दिनांक 16.02.2013 को जब्त 8.80 क्विंटल चावल (19 पैकेट, जिसमें 12 जुट बैग तथा 7 प्लास्टिक बैग) को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(A) अंतर्गत राज्यसात कार्रवाई हेतु अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में अभ्युक्त का नाम, पता नहीं रहने के कारण न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से उक्त परिपेक्ष्य में अभ्युक्त का नाम, पता प्राप्त करने हेतु पत्राचार की गई, परंतु अबतक अप्राप्त। फलतः अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आदेश पारित किया जा रहा है। अभिलेख में संलग्न कागजात, प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, माण्डू का पत्रांक 1021 दिनांक 10.04.2013 तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से असहमत होने का काई ठोस आधार नहीं है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत दिनांक 16.02.2013 को जब्त 8.80 क्विंटल चावल (19 पैकेट, जिसमें 12 जुट बैग तथा 7 प्लास्टिक बैग) **को राज्यसात किया जाता है।** आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 21/2/18 **उपायुक्त,** रामगढ़। 21/2/18 **उपायुक्त,** रामगढ़।	